केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

याचिका सं. 324 / टीएल / 2024 — **दिनांक : 4.12.2024**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

ब्यावर – मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016, द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "राजस्थान आरईजेड पीएच–IV (भाग–2:5.5 जीडब्ल्यू) (जैसलमेर / बाड़मेर कॉम्प्लेक्स): भाग घ से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" के लिए अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	प्रत्येक छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित ब्यावर–मंदसौर पीएस 765 केवी डी / सी लाइन • ब्यावर पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर –2 नं. • मंदसौर पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर – 2 नं. • ब्यावर पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण – 2 न. • मंदसौर पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण – 2 नं. • 765 / 400 केवी ब्यावर एस / एस पर स्पेयर यूनिट (1–पीएच 1x80 एमवीएआर)	एसपीवी अधिग्रहण से 24 मास
2.	ब्यावर एस / एस और मंदसौर एस / एस पर प्रत्येक 765 केवी लाइन बे का 2 नं. • **765 केवी लाइन बे – 4 नं. (ब्यावर एस / एस और मंदसौर एस / एस पर प्रत्येक 2 नं.)**	

नोट:

i) मंदसौर पीएस का विकासकर्ता स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्थान सहित मंदसौर एस / एस पर 765 केवी लाइन बे के दो नंबरों के लिए स्थान प्रदान करेगा।

ii) ब्यावर एस / एस का विकासकर्ता स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्थान सहित ब्यावर एस / एस पर 765 केवी लाइन बे के दो नंबरों के लिए स्थान प्रदान करेगा।

iii) स्विचेबल लाइन रिएक्टरों का एनजीआर बाइपास व्यवस्था के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 9.9.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 324 / टीएल / 2024 में दिनांक 3.12.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. ब्यावर – मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.powergrid.in/subsidiaries** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **13.12.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **16.12.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता / –

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)

सचिव